Animal Nutritionist – Both Pre-revised & 7th CPC.

		Govt. holding: (i) analogous posts on regular basis; and (ii) possess the qualification and experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 2.** - The Armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed forces; thereafter they may be continued as re-employment.	

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee for confirmation - 1. Colonel (Records), Assam Rifles – Chairman; 2. Staff Officer 1 (A), Assam Rifles - Member; 3. Medical Officer, Assam Rifles - Member.	Not applicable.

[F. No. A/Pers/RRs/WO (Pharm)/2016]

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy. (PF-VI)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 126.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में पशु आहारविज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, पशु आहारविज्ञ (समूह 'क' पद) .... भर्ती नियम, 2016 है।
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तभं (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :